पं
सिंगरौली

कार्यालय जिला पंचायत सिंगरौली (म.प्र.)

सिंगरौली, दिनांक 03/09/2026

आदेश

क्रमांक/2178/स्था./जि.पं./2026 समाचार पत्र में प्रकाशित खबर एवं क्षेत्रीय उपयंत्री द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2026 द्वारा ग्राम पंचायत सितुलखुर्द के ग्राम नौढिया में लौआ नाला में निर्माणाधीन चेक डैम जिसकी तकनीकी स्वीकृति क्रमांक **988** दिनांक **28.10.2024** एवं प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक **737** दिनांक **12.01.2026** मद मुख्यमंत्री ग्राम सडक एवं अवसंरचना योजना से राशि **23.30** लाख में स्वीकृत हुआ था, जिसके निर्माण को माप - पुस्तिका क्रमांक **10885** जारी दिनांक **30.06.2026** के बाद किया जा रहा था। वर्तमान में उक्त कार्य प्रगतिरत था, जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त **होना प्रतिवेदित किया गया।**

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत सितुलखुर्द के पंचायत सचिव श्री शिवकुमार सिंह द्वारा निर्माण कार्य में निर्धारित तकनीकी मापदण्डों एवं गुणवत्ता मानकों का समुचित पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप वर्षा के दौरान उक्त चेक डैम क्षतिग्रस्त हो गया । स्पष्ट होता है कि कार्य के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई तथा कार्य की उचित निगरानी नहीं किया गया, बावजूद पंचायत द्वारा राशि रू. 7.37 लाख बिना मूल्यांकन के आहरित किया गया है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

प्रकरण में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2098 सिंगरौली, दिनांक 31.08.2026 **द्वारा श्री सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 03.09.2026 को सुनवाई की गई, जिसमें श्री सिंह अपना पक्ष रखने में विफल रहे एवं प्रस्तुत लैखिक जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया। इस प्रकार सचिव द्वारा** कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही **करते हुए** शासकीय राशि **का** अपव्यय **किया जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता करना पाया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोषी सरपंच/सचिव के विरूद्ध पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40-92 के तहत प्रकरण संस्थित करते हुए आहरित राशि रू. 7.37 लाख (सात लाख सैतीस हजार रु. मात्र) अधिरोपित की गई है।**

अतः श्री शिवकुमार सिंह सचिव ग्राम पंचायत सितुलखुर्द जनपद पंचायत बैढ़न को कर्त्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरतने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता करने के आरोप में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव अर्हता, भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2011 एवं संशोधित नियम क्र. एफ-5-1-2017-22-पं-1 भोपाल, दिनांक 09 अगस्त 2017 में विहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत बैढ़न नियत किया जाता है। श्री सिंह को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

3/9/26

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सिंगरौली (म.प्र.)

पृ.क्र./2171/स्था./जि.पं./2026
सिंगरौली, दिनांक 03/09/2026

1. कलेक्टर जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैढ़न की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. लेखाधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सरपंच ग्राम पंचायत **सितुलखुर्द** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधितजन .... की ओर पालनार्थ।
6. आदेश नस्ती।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सिंगरौली (म.प्र.)

Address: Near Majan Square,Waidhan District Singrauli(M.P.)486886
Tel:7805-355047 | e-mail: ceozpsin@mp.gov.in